2021/65 न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

28/21 रणजीत बनाम गीता

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		दिनांक 1.5.21 को कोविड 19 महामारी के कारण [illegible] होने से पत्रावली में कोई कार्य वाही [illegible] की जा सकी। आज P.O. ता..... [illegible]र/अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली दिनांक 23.7.21 को पेश हो।
	23/7/21	पत्रावली पेश हुई [illegible] कार्य [illegible] की जा सकी। पत्रावली दि. 31/7/21 को पेश हो।
	कोर्ट पाबन्दी कमला 3/8/21	पत्रावली [illegible] कार्य [illegible] नहीं की [illegible] हो। पत्रावली दिनांक 1.10.21 को पेश हो।
	11/10/21	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत कैम्प पाटन में पेश हुई। प्रार्थी एवं छोटू लाल बैरवा अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। जिनको सरपंच ग्राम महेन्द्र कुमार बैरवा पंचायत पाटन पहचानते हैं। इस प्रार्थना पत्र से संबंधित बाबू लाल के प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी है। पत्रावली एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया गया। एक रिकॉर्डेड खातेदार को दूसरे खातेदार के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल कुमार होकर वर्ष नम्बर से कम होने पर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11/10/21 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत कैम्प पाटन में सुनाया गया।

कमला

सरपंच
ग्राम पंचायत पाटन
पंचायत समिति दूदू (जयपुर)

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर